UPVR010056022026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, वाराणसी।

द्वितीय अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या– 1848 सन् 2026

कारू माझी पुत्र मदन माझी निवासी ग्राम ताजूविगहा, पोस्ट मिर्जायगंज, थाना नालंदा, बिहार। .....प्रार्थी/अभियुक्त।

बनाम

उ0प्र0 राज्य। .....अभियोजक।

अपराध सं0 – 14/2021
धारा –420 भा0दं0सं0
व 66 सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम
थाना –साईबर क्राईम, वाराणसी

12–06–2026

प्रार्थी/अभियुक्त **कारू माझी** की तरफ से उपरोक्त मामले में अग्रिम जमानत हेतु यह द्वितीय अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है जो शपथ–पत्र से समर्थित है। प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र प्रार्थी/अभियुक्त की अनुपस्थिति में पूर्व में निरस्त किया जा चुका है।

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता व विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी शिवम सिंह दैनिक जागरण मे दिये गए क्लासीफाइड विज्ञापन मे एटीएल टैलीकॉम के नाम पर घर बैठे एसएमएस जॉब के साथ ही काम करने के लिए फ्री लेपटाप फ्री मोबाइल देने की बात की गई थी। काम करने के लिए जब वादी ने (09073952198, 08240510679) पर काल किया जिसमे उन्होनें रजिस्ट्रेशन फीस 1850 खाता मे डालने को कहा फिर ऐसे ही करकें उसने मुझसे (185015, 65015, 65022, 85022, 85027, 75032,190) 1,43,690 ले लिया और रुपया वापस माँगने पर धमकी भी देने लगा। उसका खाता संख्या 34048828652, खाता धारक का नाम–अमित कुमार है।

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से अग्रिम जमानत हेतु मुख्य आधार यह लिया गया है कि उन्हें झूठा फंसाया गया है। उनके द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित व्यक्ति नहीं है। जबकि प्रथम सूचना रिपोर्ट में अमित कुमार सिंह नामित व्यक्ति है तथा उसे ही धमकी देना कहा गया है। दौरान विवेचना साईबर क्राइम पुलिस थाना द्वारा विवेचना के दौरान खाता संख्या–3404882865 के खाता को सीज करते हुए धोखाधड़ी की धनराशि 1,43,690 को दिनांकित 22.02.2021 को जब्त कर लिया तदुपरांत अमित कुमार को धारा 41 क सी०आर०पी०सी० की नोटिस तामिल कराया गया बादहूँ कारू मांझी को भी 41 क नोटिस तामिल कराया गया। प्रार्थी/अभियुक्त के द्वारा किसी भी अखबार में किसी भी प्रकार का कोई विज्ञापन नहीं दिया गया है। वह निर्दोष है। अतः अग्रिम जमानत प्रदान की जाय।

जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र का प्रबल विरोध करते हुए अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि प्रार्थी/अभियुक्त पर सह–अभियुक्तगण के साथ मिलकर धोखाधडी व साईबर क्राईम करते हुए वादी को 1,43,690/–रूपये की वित्तीय क्षति पहुंचाये जाने का अभियोग है। अभियुक्त का तर्क है कि वह प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित नहीं है। साईबर क्राइम पुलिस थाना द्वारा विवेचना के दौरान कथित खाता को सीज करते हुए धोखाधड़ी की धनराशि 1,43,690 को जब्त कर लिया गया एवं उसने किसी भी अखबार में किसी भी प्रकार का कोई विज्ञापन नहीं दिया है। आरोपित अपराध सात वर्ष तक की सजा से दण्डनीय है। मामले में आरोप–पत्र आ चुका है जिसपर सम्बन्धित न्यायालय द्वारा प्रसंज्ञान लिया जा चुका है। अभियोजन की ओर से प्रार्थी/अभियुक्त का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया है। अभियुक्त दोषी हैं अथवा निर्दोष इसे विचारण उपरांत ही देखा जा सकता है।

अतः मामले के समस्त तथ्यो एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, गुणदोष पर कोई टिप्पणी किये बिना अभियुक्त का अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र सशर्त स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी/अभियुक्त **कारू माझी** की ओर से उपरोक्त मामले में प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र दौरान विचारण स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी/अभियुक्त दस दिन के अंदर सम्बन्धित न्यायालय में उपस्थित होगा तथा सम्बन्धित न्यायालय में अभियुक्त को मु0 पचास हजार रूपये का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं समान राशि की दो प्रतिभू दाखिल करने पर निम्न शर्तों के आधार पर अग्रिम जमानत प्रदान किया जायेः–

1. अभियुक्त इस प्रकृति का अपराध पुनः कारित नहीं करेगा।
2. अभियुक्त अभियोजन साक्षियों को प्रभावित नहीं करेगा।
3. दौरान विचारण अभियुक्त न्यायालय में प्रत्येक तिथि पर उपस्थित होगा और साक्षी के उपस्थित होने पर अनावश्यक रूप से स्थगन प्रस्तुत नहीं करेगा।

दिनांक : 12–06–2026

(संध्या श्रीवास्तव)
प्रभारी सत्र न्यायाधीश,
वाराणसी

Steno-Md. Imran

JO Code-UP 6203